लय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
सीन अधिकारी : सुश्री भागगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस
स्व विविध प्रकरण संख्या : 14/2017 GCMS NO 2017/00218
रा तिथि : 11.10.2017
देश तिथि : 7-4-2022

र्थीगण :–

1. जीवाराम पुत्र रतारामजी
2. वीराराम पुत्र रतारामजी
3. सुकीबाई पुत्री रतारामजी
4. पोनी पत्नि स्व0 मानारामजी
5. भीमाराम पुत्र मानारामजी
6. पोनी पुत्री मानारामजी
7. एजी पुत्री मानारामजी
8. धनी पुत्री मानारामजी
9. प्यारी पुत्री मानारामजी
10. मानीपत्नि स्व0 जगारामजी
11. सोनीबाई पत्नि स्व0 बदारामजी
12. पुष्पा पुत्री बदारामजी
13. सुगा पुत्री बदारामजी
14. सुरेशकुमार पुत्र बदारामजी
15. अरविन्दकुमार पुत्र बदारामजी (प्रार्थी संख्या 15 व 16 दोनो नाबालिंग) जरिये कुदरतीवलिया माता सोनीबाई पत्नि बदारामजी
16. नेनाराम पुत्र जगारामजी
17. घीसाराम पुत्र जगारामजी
18. पूनाराम पुत्र जगारामजी तमाम जाति से सिरवी निवासीगण धाणदा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

A. खसरा नंबर 242 के खातेदार
1. कसाराम पुत्र हकाजी
2. स्व0 भुराराम पुत्र हकाजी के कायम मुकाम वारिसः–
   2/1 पुखराज पुत्र भुराराम
   2/2 मांगीलाल पुत्र भुराराम
   2/3 दाकु पुत्री भुराराम
   2/4 लेहरी पुत्री भुराराम
   2/5 जतनो पुत्री भुराराम
   2/6 कीकी पत्नि स्व0 भुराराम तमाम जातिगण सीरवी निवासी धाणदा तहसील बाली
3. दीपाराम पुत्र वगताराम
4. कैलाशकुमार पुत्र वगताराम
5. सोहनलाल पुत्र वगताराम
6. देवाराम पुत्र चेनाजी तमाम जाति से सुथार निवासी धाणदा तहसील बाली

B. खसरा नंबर 243/1 के खातेदार
1. हिंगलाजदान पुत्र कानदानजी जाति चारण के कामु: वारिशः
   गंगासिंह पुत्र हिंगलाजदान जाति चारण निवासी धाणदा

C. खसरा नंबर 249 के खातेदार
1. रूगाराम पुत्र खरतारामजी जाति भाम्बी निवासी धाणदा तहसील बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी * बाली जिला - पाली (राज.)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

दिनांक : 7-4-2022

आदेश

प्रार्थीगण ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की धारित खातेदारी भूमि ग्राम धाणदा पटवार हल्का, मौखमपुरा तहसील बाली के खसरा नंबर 244, 245, 246 रकबा क्रमशः 0.01 हैक्टर गै.मु. बेरा, 0.07 हैक्टर गै.मु. सडा, 2.20 हैक्टर जाव दोयम/चाही दोयम कुल रकबा 2.28 हैक्टर में आवागमन के लिए रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नही होने से ग्राम धाणदा में स्थित भूमियाँ खसरा नंबर 242, 243/1, 249 रकबा क्रमशः 1.87 हैक्टर, 0.27 हैक्टर, 0.41 हैक्टर जिसके निजी खातेदार A,B,C में वर्णित अप्रार्थीगण है की वर्णित भूमि मेंसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रैक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया।

पेज लगातार........02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 14/2017 GCMS NO 2017/00215

अनवान जीवाराम बनाम कसाराम वगैरा

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

स्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तथा साथ ही खसरा नंबर 242, 243/1, 249 के निजी खातेदार A,B,C में वर्णित अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। A में वर्णित अप्रार्थीगण नोटिस तामील के बावजुद न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये दिनांक 01.05.2018 को राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट मौखमपुरा में एक बार उपस्थित हुये, तथा रास्ता देने बाबत् मौखिक असहमति व्यक्त की। B,C में वर्णित अप्रार्थीगण रूगाराम व गंगासिंह ने रास्ता देने बाबत् सहमति प्रकट की। परन्तु निजी खातेदार A,B में वर्णित अप्रार्थीगण न्यायालय में एक बार भी वकालतन/ असालतन उपस्थित नहीं हुये, जिससे इन अप्रार्थीगण का जवाब/अवसर बंद किया जाता है। C में वर्णित अप्रार्थी रूगाराम की ओर से वकील श्री नेकाराम चौधरी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया, परन्तु आदिनांक उनकी ओर से भी कोई जवाब आपत्ति पेश नहीं की गई, जिससे अप्रार्थी रूगाराम का जवाब अवसर भी बंद किया जाता है। प्रकरण में तहसीलदार, बाली को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुती के लिये बार– बार लिखा जाने पर तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, मौखमपुरा ने भी जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2022/778 दिनांक 15.03.2022 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1.कि आवेदक खातेदार श्री जीवाराम पुत्र रताराम सीरवी वगैरा की खातेदारी भूमि ग्राम धाणदा के खसरा नंबर 244 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 245 रकबा 0.07 हैक्टर व खसरा नंबर 246 रकबा 2.20 हैक्टर कुल रकबा 2.28 हैक्टर किस्म गै.मु. बेरा, सडा व जा.दो, चा.दो भूमि संयुक्त खातेदारी की स्थित है।

2. रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	249	0.41 हैक्टर	बा.दो.	10X5 = 50 वर्गमीटर	श्री रूगाराम पुत्र खरताराम जाति भांबी निवासी धाणदा
2	243	0.27 हैक्टर	बा.दो.	26X5 = 130 वर्गमीटर	राजकीय सिवाय चक
3	243/1	0.27 हैक्टर	बा.दो.	26X5 = 130 वर्गमीटर	हिंगलाजदान पुत्र कानदान कौम चारण
4	242/3	0.18 हैक्टर	बा.दो.	82X5 = 410 वर्गमीटर	दीपाराम पुत्र वगताराम ,कैलाश पुत्र वगताराम, सोहनलाल पुत्र वगताराम जाति सुथार निवासी धाणदा
5	242/2	0.27 हैक्टर	बा.दो.	46X5 = 230 वर्गमीटर	देवाराम पुत्र चेनाराम कौम सुथार नि. धाणदा
6	242/1	0.18 हैक्टर	बा.दो.	46X5 = 230 वर्गमीटर	पुखराज पुत्र भूराराम मांगीलाल पुत्र भुराराम दाकु पुत्री भुराराम लेहरी पुत्री भुराराम जतनो पुत्री भुराराम कीकी पत्नि स्व0 भुराराम तमाम जातिगण सीरवी निवासी धाणदा
		कुल योग		1180 वर्गमीटर	

3. यह हैं कि ग्राम धाणदा की डी.एल.सी. दर 213300/–रूपये प्रति हैक्टर है।

4. यह हैं कि प्रस्तावित रास्ते के क्षैत्रफल की भूमि में किसी प्रकार का पक्का निर्माण या वृक्ष इत्यादि नहीं हैं, अन्य कोई क्षति नहीं है।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थीगण की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तथा अप्रार्थीगण द्वारा आज तक जवाब अथवा आपत्ति पेश नही की गई है, जिससे प्रार्थीगण को तहसीलदार, बाली द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुरूप रास्ता दिया जाना उचित है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकः प.3 (52) राज–6/ 12 /4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे

पेज लगातार.......03

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 14/2017 GCMS NO 2017/00215

अनवान जीवाराम बनाम कसाराम वगैरा

<u>अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

ार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम धाणदा तहसील बाली नंबर 244, 245, 246 की भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की निजी खातेदारी भूमि ग्राम धाणदा के खसरा नंबर 249, 243/1, 242/3, 242/2, 242/1 मेंसे कुल रकबा 1050 वर्गमीटर राजकीय सिवाय चक भुमि खसरा नंबर 243 मेंसे 130 वर्गमीटर रास्ता नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण एवं राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रमावित क्षैत्रफल	डी.एल. सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 213300/– प्रति हैक्टर की दर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
249	0.41 हैक्टर	10X5 = 50 वर्गमीटर	21.33	1067X2= 2134	श्री रुगाराम पुत्र खरताराम जाति मांबी निवासी धाणदा
243	0.27 हैक्टर	26X5 = 130 वर्गमीटर	21.33	2773X2= 5546	राजकीय सिवाय चक
243/1	0.27 हैक्टर	26X5 = 130 वर्गमीटर	21.33	2773X2= 5546	हिंगलाजदान पुत्र कानदान कौम चारण
242/3	0.18 हैक्टर	82X5 = 410 वर्गमीटर	21.33	8745X2= 17490	दीपाराम पुत्र वगताराम ,कैलाश पुत्र वगताराम, सोहनलाल पुत्र वगताराम जाति सुथार निवासी धाणदा
242/2	0.27 हैक्टर	46X5 = 230 वर्गमीटर	21.33	4906X2= 9812	देवाराम पुत्र चेनाराम कौम सुथार नि. धाणदा
242/1	0.18 हैक्टर	46X5 = 230 वर्गमीटर	21.33	4906X2= 9812	पुखराज पुत्र भूराराम मांगीलाल पुत्र भुराराम दाकु पुत्री भुराराम लेहरी पुत्री भुराराम जतनो पुत्री भुराराम कीकी पत्नि स्व0 भुराराम तमाम जातिगण सीरवी निवासी धाणदा
		कुल देय प्रतिकर राशि		50240/–रूपये	

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार 44694/– **(अक्षरे चव्वालीस हजार छः सौ चौरानवे)** रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर प्रभावित खातेदारान् को अदा की जावेगी। **तथा 5546/– अक्षरे पांच हजार पॉच सौ छियालीस रूपये** राज्य सरकार को अदा की जावेगी। प्रभावित खातेदारान् द्वारा प्रतिकर राशि नहीं लिये जाने की दशा में आवेदक द्वारा नियमानुसार संपुर्ण राशि तहसील कार्यालय बाली मे जमा कराई जायेगी। तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

दिनांक 26/5/22

क्रमॉक/कोर्ट/रास्ता/2022/1531-35
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ व सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 मौखमपुरा
3. पटवारी हल्क, मौखमपुरा
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक प्रार्थी जीवाराम पुत्र कसाजी जाति सीरवी निवासी धाणदा वगैरा को सूचनार्थ।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner